पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक/कार्मिक
गोरखपुर

सं–का/207/सेटिल/आठ/पेंशन अदालत/2018/भाग–14 दिनांक 10.04.2018

सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष, मंडल रेल प्रबन्धक/इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी
विसमुलेधि, विसमुलेधि/निर्माण, मुप्रआ/निर्माण, उप विसमुलेधि/सामान्य
विसमुलेधि/राज.,अराज./ए.जे./पी.एफ./पेंशन/प्रशासन, यांत्रिक कारखाना लेखाधिकारी
मुकाप्र/यांत्रिक कारखाना, गोरखपुर, इज्जतनगर, उप मुसाप्र/डिपो गोरखपुर, इज्जतनगर
मुकाप्र/पुल, अधि. अभियंता/पुल कार/गो. छावनी, मुकाप्र/सिग्नल कार/गो. छावनी.
मुसुआ/आर.पी.एफ., ससुआ/आर.पी.एफ/गो.क्षेत्र, कमान्डिंग आफीसर 2 बी.एन./आर.पी.एस.एफ
चिनि/ल.न.मि.रेलवे चिकित्सालय, वमचिधि/स्वा, प्रधानाचार्य/बालक ई.का., बालिका.ई.का., सी.से.स्कूल
उप मुई/गो.क्षेत्र, उप मविई/कालोनी, वरिष्ठ प्रमुलेसा, सांखिकीय एवं विश्लेषण अधिकारी,
सहायक सामाग्री प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, – 81 बी.बी. गांगुली रोड, कोलकाता – 12
सभी कार्मिक अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

विषय :– "पेंशन अदालत जुलाई/2018 का आयोजन।"

दिनांक 16.07.2018 (सोमवार) को गोरखपुर मुख्यालय, इज्जतनगर, लखनऊ एवं वाराणसी मंडल में पेंशन अदालत को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी को गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर एवं बरेली के स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए सूचित किया जाना है कि, सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके मरणोपरान्त उनकी विधवाओं/आश्रितों को पेंशन एवं अन्य समापक दावों के परिवादों के निस्तारण हेतु दिनांक 31.05.2018 तक तीन प्रतियों में आवेदनपत्र दे सकते हैं। वे भूतपूर्व कर्मचारी जो गोरखपुर मुख्यालय में कार्यरत थे, (जहां से सेवानिवृत्त हुए हैं) के लिए मुख्य कार्मिक अधिकारी, गोरखपुर या अपने सम्बंधित यूनिट प्रभारी अधिकारी को तथा मंडलों एवं कारखाना यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए सम्बंधित मंडल रेल प्रबन्धक/यूनिट के अधिकारी को तीन प्रतियों में आवेदन पत्र दे सकते हैं। उपर्युक्त कार्य के सम्पादन में निम्नलिखित अग्रिम कार्यवाही प्रत्येक मंडलों/कारखानों के अतिरिक्त मंडल इकाइयों द्वारा किए जाने की आवश्यकता है :–

सेवानिवृत्त कर्मचारियों, विधवाओं/आश्रितों द्वारा प्राप्त आवेदनपत्रों को कार्मिक शाखा द्वारा पंजीकृत किया जाएगा।

1. आवेदनपत्रों की जांच करने के बाद यदि यह पाया जाता है कि आवेदनपत्र में किए गए दावे/परिवाद विचारणीय हैं तो सम्बधित लेखा विभाग को भेजकर तुरन्त निपटारे की कार्यवाही की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन सभी मामलों में जो तर्कसंगत हों, का निपटारा पेंशन अदालत के समय में ही किया जाय, परन्तु उन मामलों में जहां मौके पर उनका निपटारा करना संभव न हो तो उनका निपटारा पेंशन अदालत आयोजित करने की तारीख से तीन माह के अन्दर किया जाय। शिकायतों के ऐसे मामले जो तर्कसंगत न हो, उन मामलों में शिकायतकर्ता को लिखित रूप में समुचित उत्तर दे दिया जाय।
2. पेंशन सम्बन्धी कार्यो को संभालने वाले कार्मिक एवं लेखा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के अलावें, पेंशन भुगतानकर्ता बैंक प्रबन्धकों को भी प्रारंभिक रेकार्ड के साथ उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाय ताकि रेकार्ड आदि देखने के लिए निर्णय को स्थगित न करना पडे।
3. पेंशन अदालत में उपस्थित होने वाले अधिकारी, दावों/शिकायतों को मौके पर दूर करने हेतु निर्णय लेनें के लिए सक्षम होना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि, ऐसी बैठकें नीति सम्बन्धी मामलों पर कार्यवाही के लिए नहीं होती हैं, बल्कि ये पेंशनभोगी द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा पेंशनभोगी के परिवार/आश्रित सदस्य द्वारा आवेदन किए जाने पर

उक्त पेंशनभोगी की विशिष्ट शिकायत पर कार्यवाही के लिए है। पूर्णरूप से कानूनी मुद्दों, उत्तराधिकार एवं अनुशासनिक कार्यवाही आदि से सम्बंधित मामलों को अदालत में किसी भी दशा में नहीं लिया जाएगा।

4. स्वैच्छिक ऐजेंसी की स्थायी समिति (स्कोवा) तथा मान्यता प्राप्त यूनियन के अधिकृत प्रतिनिधियों को पेंशन अदालत में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाय, परन्तु उन्हें पेंशनभोगियों की शिकायतों को प्रस्तुत करने की अनुमति नही दी जाएगी व, बहरहाल अशिक्षित पेंशनभोगी, विधवा एवं नाबालिग बच्चों आदि के मामले में जहां उनके लिए सम्भव नही है कि वे अपने मामले को प्रभावी तरीके से पेंशन अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर सकें, ऐसें मामलें में पेंशनभोगी अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए पेंशन अदालत में उपस्थित स्कोवा/यूनियन प्रतिनिधि की सहायता की मांग कर सकता है जिसके लिए स्कोवा के प्रतिनिधि को अनुमति दी जा सकती है।

यह उल्लेखनीय है कि, सामान्य प्रणाली के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली समापक राशि का सदैव भुगतान किया जाता है, किसी भी मामले को पेंशन अदालत के फैसले के लिए रोकी नहीं जानी चाहिए जब तक कि, वह अपरिहार्य न हों।

चूँकि पेंशन अदालत के आयोजन की निगरानी रेलवे बोर्ड तथा पेंशनभोगी व कल्याण के स्तर पर की जाती है, अतः इन मार्ग दर्शनों का ईमानदारी से अनुशरण किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि, पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों के दावों का शीघ्रताशीघ्र निपटारा किया जाय जिससे उन्हे आगे शिकायत करने का मौका न मिल सके। आवेदनकर्ताओं को पेंशन अदालत में भाग लेने के लिए पेंशन अदालत की तिथि, समय एवं स्थान दर्शाते हुए सूचित किया जाना चाहिए, पेंशन अदालत में भाग लेने के लिए उन्हें कोई भी यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता इत्यादि देय नही है।

मुख्यालय में पेंशन अदालत के आयोजन की जिम्मेदारी सकाधि/समापक एवं उप मुकाधि/अराज की होगी, जबकि मंडलों में वमंकाधि/मंकाधि की होगी। मुख्यालय एवं मुख्यालय स्थित अतिरिक्त मडंलोत्तर इकाइयों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके मरणोपरान्त उनकी विधवाओं/आश्रितों द्वारा पेंशन एवं अन्य समापक दावों/परिवादों के सकाधि/समापक को सम्बोधित आवेदनपत्र तीन प्रतियों में प्रमुकाधि कार्यालय के प्राप्ति/प्रेषण अनुभाग में दिनांक 31.05.2018 तक प्राप्त किया जाएगा। आवेदनपत्र की एक प्रति सम्बंधित नियंत्रक अधिकारी को छानबीन, आवश्यक कार्यवाही एव टिप्पणी हेतु तथा एक प्रति लेखा विभाग को भेज दिया जाएगा।

यांत्रिक कारखाना, गोरखपुर, सिग्नल एवं पुल कार/गोर. छावनी आवेदन पत्र सीधे उक्त तिथि तक तीन प्रतियों में प्राप्त करेंगे जिन पर आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात आवेदन पत्र की एक प्रति निस्तारण विवरण सहित सकाधि/समापक को दिनांक 12.06.2018 तक अवश्य भेज देंगे।

सकाधि/समापक
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव/महाप्रबंधक, 2. सचिव/अपर महाप्रबंधक,
3. प्रमुकाधि, मुकाधि/प्रशासन, उप मुकाधि/राज, उप मुकाधि/अराज/गो.
4. बकाधि/आर.पी., बकाधि/यांत्रिक कारखाना, बकाधि/निर्माण, बकाधि/सिग्नल एवं पुल कार.
5. सचिव/प्रमुकाधि, सकाधि/मुख्यालय, सकाधि/एम.पी.पी,
6. सकाधि/डिपो एवं प्रेस,सकाधि/गोर.क्षेत्र, सकाधि/उपमुविंई/कालोनी,
7. श्री बी.एन.सिंह अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन 18 जाहिद अली क्वाटर्स असुरन मेडिकल कालेज रोड, शाहपुर, गोरखपुर।
8. महामंत्री, एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन गोरखपुर।
9. महामंत्री, एस.सी. – एस.टी. एसोसिएशन गोरखपुर।
10. अध्यक्ष/महामंत्री, प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ गोरखपुर।
11. अध्यक्ष/महामंत्री, पूर्वोत्तर रेलवे, प्रमोटी अधिकारी संघ गोरखपुर 12. नोटिस बोर्ड/अतिरिक्त प्रति।
13. मुकार्याधी/कैडर ई–6, ई–8, ई–9 बिल एवं राजपत्रित अनुभाग मुकाधि कार्यालय, गोरखपुर।

सकाधि/समापक
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

पूर्वोत्तर रेलवे

सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों के लिए आवश्यक सूचना

पूर्वोत्तर रेलवे के सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के पेंशन एवं उनके समापक भुगतान सम्बन्धी अन्य देय दावों एवं शिकायतों के तत्काल निवारण हेतु पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय गोरखपुर, तथा मंडल कार्यालय लखनऊ, वाराणसी एवं इज्जतनगर, में दिनांक 16.07.2018 (सोमवार) को पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा यदि वे जीवित न हों तो उनके उत्तराधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन देना चाहते हों तो उसे अपने सम्बंधित ईकाई, मंडल रेल प्रबन्धक अथवा रेल कारखाना प्रभारी को (जहां से कर्म. सेवानिवृत्त हुए हों) दिनांक 31.05.2018 तक तीन प्रतियों में आवेदनपत्र भेज सकते हैं। गोरखपुर मुख्यालय के सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी (जहां से सेवानिवृत्त हुए हैं) अपना प्रतिवेदन तीन प्रतियों में (पत्राचार पता, टेलीफोन/मोबाईल नम्बर, आधार संख्या, पिन के साथ) प्रमुख्य कार्मिक अधिकारी, गोरखपुर कार्यालय के प्राप्ति/प्रेषण अनुभाग में दिनांक 31.05.2018 तक प्राप्त करा सकते है। यह आवश्यक सूचना पूर्वोत्तर रेलवे के वेबसाईट www.ner.indianrailways.gov.in पर भी उपलब्ध है।

मुख्यालय गोरखपुर में दिनांक 16.07.2018 को आयोजित पेंशन अदालत हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. दावाकर्ता का नाम एवं भूतपूर्व कर्मचारी से सम्बन्ध..............................
2. भूतपूर्व कर्मचारी का नाम एवं तत्कालीन पदनाम..............................
3. कार्यस्थल एवं विभाग..............................
4. सेवानिवृत्ति तिथि/मृत्यु तिथि/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति..............................
5. पी.पी.ओ संख्या एवं तिथि(सभी वेतन आयोग के तहत रिवाइज) ....
6. पत्राचार का पता/पिनकोड एवं टेलीफोन/मोबाइल नम्बर ....
7. दावे का संक्षिप्त विवरण ....

दावाकर्ता का हस्ताक्षर/तिथि

उप मख्य कार्मिक अधिकारी/अराज.
कृते महप्रबंधक(का0)
गोरखपुर

20/4/18